भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 212
10 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ

विषय: राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन- तिलहन

212. श्रीमती भारती पारधी:
श्री श्रीरंग आप्पा चंद्रू बारणे:

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने स्वदेशी तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने और खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन -तिलहन को मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो उक्त मिशन का ब्यौरा क्या है और इसके उद्देश्य/ लक्ष्य क्या हैं और इसके कार्यान्वयन की समय-सीमा क्या है तथा इस मिशन के तहत मध्य प्रदेश को कितनी धनराशि जारी की गई है;

(ग) वर्तमान में खाद्य तेल के आयात का ब्यौरा क्या है और राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन - तिलहन की मंजूरी से इसका आयात वर्ष 2030-31 तक कितना कम होने की संभावना है;

(घ) इस मिशन से लघु और सीमांत किसानों की चुनौतियों का समाधान किस प्रकार होगा तथा यह सुनिश्चित करने हेतु क्या विशिष्ट कार्यक्रम अथवा प्रोत्साहन विद्यमान हैं कि इस मिशन से महाराष्ट्र में लघु और सीमांत किसानों को लाभ मिले;

(ङ) 2024-25 से 2030-31 की अवधि हेतु राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन -तिलहन के लिए कुल कितना बजट आबंटित किया गया है;

(च) क्या देश को खाद्य तेल उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने हेतु नीति आयोग ने कई उपायों की सिफारिश की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(छ) तिलहन की स्वदेशी किस्मों को बढ़ावा देने और आयातित संकर बीज पर निर्भरता कम करने तथा तिलहन उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उठाए गए/प्रस्तावित अन्य कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (छ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-तिलहन के संबंध में दिनांक 10.12.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 212 के भाग (क) से (छ) के संबंध में विवरण।

(क) & (ख): जी हाँ, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन - तिलहन (एनएमईओ-ओएस) को मंजूरी दे दी है, जो खाद्य तेल उत्पादन में आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रयास करने के लिए, ₹10,103.38 करोड़ के परिव्यय के साथ (₹7,481.67 करोड़ की केंद्रीय हिस्सेदारी के साथ) वर्ष 2024-25 से वर्ष 2030-31 तक सात साल की अवधि में पूरे देश में कार्यान्वयन के लिए घरेलू तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक पहल हैं।

एनएमईओ-तिलहन का उद्देश्य प्रमुख प्राथमिक तिलहन फसलों जैसे रेपसीड-सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी और तिल के उत्पादन को बढ़ाने के साथ साथ कपास के बीज, चावल की भूसी, मकई तेल और वृक्ष जनित तेलों जैसे द्वितीयक स्रोतों से संग्रह और निष्कर्षण दक्षता में वृद्धि करना है। मिशन का लक्ष्य प्राथमिक तिलहन उत्पादन को 39 मिलियन टन (2022-23) से बढ़ाकर वर्ष 2030-31 तक 69.7 मिलियन टन करना है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन- तिलहन (एनएफएसएम-ओएस), जो अब एनएमईओ-ओएस के अंतर्गत समाहित हो गई है, के अंतर्गत वर्ष 2024-25 के लिए मध्य प्रदेश राज्य के लिए कुल आवंटन और जारी धनराशि नीचे दी गई है:

(राशि लाख रूपये में)

केंद्रीय हिस्सा	**राज्य हिस्सा**	**कुल आवंटन**	**जारी (29.11.2024 तक केंद्रीय हिस्सा)**
6250.00	4166.67	10416.67	4687.75

(ग): वर्ष 2022-23 (नवंबर, 2022 से अक्टूबर, 2023) के दौरान कुल 165.00 लाख टन खाद्य तेलों का आयात किया गया, जो देश में कुल खाद्य तेल खपत का लगभग 57% है। इसी तरह, वर्ष 2023-24 (नवंबर, 2023 से सितंबर, 2024 तक) के दौरान 142.53 लाख टन खाद्य तेलों का आयात किया गया, जो कुल घरेलू आवश्यकता का लगभग 54% है। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन - ऑयल पाम (एनएमईओ-ओपी) के साथ मिलकर, मिशन का लक्ष्य वर्ष 2030-31 तक घरेलू खाद्य तेल उत्पादन को 25.45 मिलियन टन तक बढ़ाना है, जिससे आयात निर्भरता कम हो जाएगी। (स्रोत: वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (वाणिज्य मंत्रालय) जैसा कि खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के तहत वनस्पति तेल निदेशालय द्वारा जानकारी दी गई है)।

(घ) & (ङ): यह मिशन विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसका उद्देश्य फ्रंटलाइन प्रदर्शन (एफएलडी), क्लस्टर फ्रंटलाइन प्रदर्शन (सीएफएलडी) और ब्लॉक-

स्तरीय प्रदर्शन (बीएलडी) जैसी पहलों के माध्यम से अपने तिलहन फसल की पैदावार में सुधार करना है, जिससे किसानों को अच्छी कृषि पद्धतियों और आवश्यक उत्पादन आदानों तक पहुंच प्राप्त हो सके।

इसके अलावा, एनएमईओ-ओएस क्लस्टरों में किसानों को मुफ्त बीज उपलब्ध कराकर उन्नत किस्मों और प्रौद्योगिकियों को तेजी से अपनाने के लिए क्लस्टर दृष्टिकोण अपनाता है। इसमें वैल्यू चेन क्लस्टरों की स्थापना का प्रावधान है, जिनका प्रबंधन वैल्यू चेन पार्टनर्स (एफपीओ, सहकारी समितियां और अन्य एजेंसियां) द्वारा किया जाएगा, ताकि लघु और सीमांत किसानों सहित क्लस्टर में भाग लेने वाले किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज, अच्छी कृषि पद्धतियों में प्रशिक्षण, मौसम और कीट प्रबंधन पर परामर्श सेवाएं तथा खरीद सहायता प्रदान की जा सके।

इसके अतिरिक्त, मिशन एफपीओ और सहकारी समितियों को फसलोपरांत बुनियादी ढांचे की स्थापना करने या उन्नयन करने में सहायता प्रदान करता है। इससे कपास के बीज, चावल की भूसी, मकई का तेल और वृक्ष-जनित तेल (टीबीओ) जैसे द्वितीयक स्रोतों से मूल्यवान उत्पादों की वसूली में वृद्धि होती है, जो सतत कृषि प्रथाओं और लघु व सीमांत किसानों सहित किसानों के लिए बेहतर आय सृजन में योगदान देता है।

महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों में उनकी तिलहन उत्पादन क्षमता, तिलहन की खेती के तहत क्षेत्र और तिलहन उत्पादन और प्रसंस्करण के लिए मौजूदा बुनियादी ढांचे आदि के आधार पर धनराशि को वितरित किया जा रहा है।

(च): नीति आयोग ने हाल ही में प्रकाशित अपनी रिपोर्ट "आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की ओर खाद्य तेलों में वृद्धि को गति देने के लिए मार्ग और रणनीतियाँ", जिसे 28 अगस्त 2024 को जारी किया गया, के माध्यम से देश को खाद्य तेल उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई उपायों की सिफारिश की है, जिसमें फसल विशिष्ट क्लस्टर के माध्यम से क्षेत्र प्रतिधारण और विविधीकरण पर ध्यान केंद्रित करना, चावल परती भूमि का विस्तार, क्षेत्रीय विकास, पाम ऑयल की खेती के लिए बंजर भूमि का उपयोग, बीज की गुणवत्ता एवं ट्रेसबिलिटी, उन्नत तकनीकों को अपनाना, प्रसंस्करण में मूल्य संवर्धन, विपणन और बाजार संपर्क, सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी), वैश्विक रुझानों के अनुरूप आसान टैरिफ लागू करना और उच्च आयात शुल्क के साथ घरेलू उत्पादन की रक्षा करना, द्वितीयक तिलहन को बढ़ावा देना, उपभोक्ता जागरूकता और उद्योग प्रोत्साहन और अनुसंधान और डेटा-संचालित दृष्टिकोण शामिल हैं। सरकार ने पहले ही इन सिफारिशों को एनएमईओ-तिलहन के तहत शामिल कर लिया है। (स्रोत: नीति आयोग)

(छ): इस मिशन के माध्यम से, प्रजनक बीजों के लिए और मूल्य श्रृंखला क्लस्टरों में वितरण के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रमाणित बीजों के लिए 100% समर्थन के माध्यम से तिलहन की उन्नत स्वदेशी किस्मों और संकरों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, मिशन के तहत, सार्वजनिक क्षेत्र में 65 नए बीज केंद्र और 50 बीज भंडारण इकाइयां स्थापित करने का प्रावधान है, जिससे देश भर में स्वदेशी बीजों के उत्पादन और भंडारण में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। मिशन में केंद्रीय बीज पोर्टल (साथी) पर उपलब्ध पांच वर्षीय ऑनलाइन बीज रोलिंग योजना के माध्यम से बीज उत्पादक एजेंसियों जैसे सहकारी समितियों, एफपीओ और सरकारी या निजी बीज निगमों के साथ अग्रिम गठजोड़ करना, शामिल है।

इसके अतिरिक्त, देश को तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए निम्नलिखित कदम भी उठाए गए हैं:

I. सरकार ने 15वें वित्त आयोग के दौरान वर्ष 2025-26 तक प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान को जारी रखने की मंजूरी दे दी है। यह योजना, मूल्य समर्थन योजना घटक के तहत राज्य स्तरीय एजेंसियों के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नेफेड) और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड (एनसीसीएफ) आदि जैसी केंद्रीय नोडल एजेंसियों (सीएनए) द्वारा एमएसपी पर तिलहन की खरीद को सक्षम बनाती है।
II. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना व्यापक फसल बीमा कवरेज प्रदान करती है, जो किसानों को बुवाई से पहले से लेकर कटाई के बाद तक फसल के नुकसान के जोखिमों से बचाती है। इसमें खाद्य फसलें, तिलहन और वाणिज्यिक बागवानी फसलें शामिल हैं, जिन्हें संबंधित राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से अधिसूचित किया जाता है। पीएमएफबीवाई का उद्देश्य फसल की पैदावार को प्रभावित करने वाली प्रतिकूल परिस्थितियां होने पर किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है।
III. सस्ते खाद्य तेलों के आयात को हतोत्साहित करने के लिए सरकार ने पाम, सूरजमुखी और सोयाबीन जैसे कच्चे खाद्य तेलों पर प्रभावी सीमा शुल्क 5.5% से बढ़ाकर 27.5% कर दिया। इसी तरह, रिफाइंड खाद्य तेलों पर शुल्क में उल्लेखनीय वृद्धि की गई, जो 13.75% से बढ़कर 35.75% हो गया। इन उपायों का उद्देश्य आयात पर निर्भरता कम करते समय घरेलू उत्पादकों के लिए समान अवसर उपलब्ध कराना है।
IV. किसानों के लिए बेहतर रिटर्न सुनिश्चित करने के लिए सोयाबीन, सरसों, मूंगफली और अन्य तिलहन जैसी प्रमुख तिलहन फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। इस वृद्धि का उद्देश्य बढ़ी हुई मूल्य सुरक्षा प्रदान करना और तिलहन के उत्पादन को प्रोत्साहित करना, कृषि क्षेत्र का समर्थन करना और किसानों की आय में सुधार करना है।
V. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने बताया है कि पिछले पांच वर्षों में तिलहन फसलों की 281 नई बीज किस्में लॉन्च की गई हैं, जिनमें से 252 किस्में जलवायु के अनुकूल हैं।

******